एसजेवीएन लिमिटेड

मिनी-रत्न शिड्यूल 'A' पीएसयू
निगमित पर्यावरण विभाग
ISO 9001:2015 Certified

कार्यालय:
कार्यकारी निर्देशक,
निगमित पर्यावरण विभाग,
शक्ति सदन, शनान,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश -171006
टेलीफोन न.: 0177-2660180
ईमेल: sjvn.eefc@gmail.com
sjvn.eed@sjvn.nic.in

संख्या: SJVN/CHQ/ENV/F38/33 दिनांक: 24/05/2022

To

Member Secretary,
River Valley and Hydroelectric Projects,
MoEF&CC, Govt. of India,
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh,
New Delhi - 110003
E-mail: yogendra78@nic.in

Sub: Six Monthly Monitoring Report on Compliance to Environmental Aspects (For period October, 2021 - March, 2022) i.r.o Sunni Dam HEP (382 MW), Himachal Pradesh.

Ref: EC Identification No.: EC22A003HP169821; Letter No.: J-12011/14/2017-IA-I (R) dated 04 February 2022; Proposal No.: IA/HP/RIV/63789/2017

Sir,

Kind reference is invited to above referred endorsement vide which Sunni Dam HEP (382 MW) of SJVN in Shimla and Mandi Districts (Himachal Pradesh) was granted Environment Clearance by MoEF&CC. As per EIA notification 2006 and Environment Clearance condition no. X (iv), submission of six-monthly status of the stipulated environment condition is a mandatory requirement. Further, it is also desired vide notification dated 26.11.2018 to submit half yearly compliance reports in soft copies only.

In this regard, this is to inform that Ministry has not yet granted Stage-II Forest Clearance to the project, therefore, the construction work has not yet started at project. Further, it is submitted that status of all conditions mentioned in the Environment Clearance letter will be submitted to Ministry with commencement of construction work at project site. However, it is pertinent to mention that condition no. X. (i) regarding advertising of Environment Clearance in two local newspapers has been complied (**Annexure-I**).

Submitted for your kind information, please.

संलग्नक: यथोपरि।

सधन्यवाद,

भवदीय,
एसजेवीएन लिमिटेड के लिए,

(कार्यकारी निर्देशक)

प्रतिलिपि (केवल ईमेल के माध्यम से):

1. उप महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (NCZ), 25, सुभाष रोड, देहरादून – 248001, ई-मेल: moef.ddn@gov.in

The Tribune 15.02.2022

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that Sunni Dam Hydroelectric Project (382 MW), which is proposed to be constructed on Satluj River in Shimla and Mandi Districts of Himachal Pradesh, has received Environment Clearance from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, with following conditions:

1. Environment Management Plan (EMP) shall be strictly adhered to and budgetary provisions of Rs. 30,546.00 lakhs for implementation of EMP, shall be fully utilized and not diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also be updated proportionately.
2. Recommendations of the Cumulative Impact Assessment and Carrying Capacity Study of Satluj River Basin Study shall be followed while implementing the project.
3. Necessary permissions shall be obtained for quarrying construction materials, if any required, for the project as per the EIA Notification, 2006 and as amended thereof
4. Solid waste generated, especially plastic waste, etc. should not be disposed of as landfill material. It should be treated with scientific approach and recycled. Use of single-use plastics may be discouraged.
5. Conservation plan prepared for Schedule I species shall be implemented with approval of the concerned CWLW.
6. Land acquired for the project shall be suitably compensated in accordance with the law of the land with the prevailing guidelines. Private land shall be acquired as per provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in •Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
7. Validity of the Environment Clearance for commissioning of the project is 10 years.
8. After 5 years of the commissioning of the project, a study shall be undertaken by an independent agency regarding impact of the project on the environment.
9. Permissions from other organisations/departments/etc., shall be taken wherever applicable on the project.
10. The Environment Clearance letter can be viewed on our website **www.sjvn.nic.in**

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

(56)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला एवं मंडी जिलों में सतलुज नदी पर खैरा गाँव के पास सुन्नी बाँध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) का निर्माण प्रस्तावित है, जिसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के साथ पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी है:

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का सख्ती से पालन किया जाएगा और ईएमपी के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधानों हेतु रुपये 30,546.00 लाख की राशि का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। परियोजना लागत में संशोधन या मूल्य स्तर परिवर्तन के कारण ईएमपी की लागत में अनुपातिक रूप से सुधार किया जाएगा।
2. सतलुज नदी बेसिन के क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट और वहन क्षमता के अध्ययन पर या टीओआर (ToR) शर्तों के अनुसार या लगातार चार सबसे लीन महीनों के औसत प्रवाह का न्यूनतम 15 प्रतिशत जो भी मान उच्चतर हो, पर्यावरणीय प्रवाह के रूप में रिलीज किया जाएगा।
3. ईआईए अधिसूचना, 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार परियोजना के लिए निर्माण सामग्री के उत्खनन के लिए आवश्यक अनुमति / स्वीकृति ली जाएगी।
4. ठोस अपशिष्ट उत्पन्न, विशेष रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि को लैंडफिल सामग्री के रूप में निपटान नहीं किया जाएगा। इसका उपचार वैज्ञानिक पद्धति एवं पुनः चक्रित के साथ किया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।
5. सभी अनुसूची–I की प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ लागू की जाएगी।
6. परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण हेतु मुआवजा मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ भूमि के कानून के अनुसार उचित रूप से किया जाएगा। भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
7. परियोजना की कमीशनिंग के लिए इस पर्यावरण स्वीकृति की वैधता पत्र जारी करने की तिथि से 10 साल की होगी।
8. परियोजना के शुरु होने के 5 साल बाद, पर्यावरण और डाउनस्ट्रीम परिस्थितिकी पर परियोजना के प्रभावों का अध्ययन मंत्रालय के साथ परामर्श से तय की गई स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
9. किसी अन्य संगठन / विभाग से कोई अन्य मंजूरी / अनुमति / अनुमोदन, जो की परियोजना पर लागू होता है, लिया जाएगा।
10. पर्यावरण स्वीकृति की प्रति को एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

उमर उजाला 15.02.2022

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला एवं मंडी जिलों में सतलुज नदी पर खैरा गाँव के पास सुन्नी बाँध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) का निर्माण प्रस्तावित है, जिसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के साथ पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी है:

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का सख्ती से पालन किया जाएगा और ईएमपी के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधानों हेतु रुपये 30,546.00 लाख की राशि का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। परियोजना लागत में संशोधन या मूल्य स्तर परिवर्तन के कारण ईएमपी की लागत में अनुपातिक रूप से सुधार किया जाएगा।
2. सतलुज नदी बेसिन के क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट और वहन क्षमता के अध्ययन पर या टीओआर (ToR) शर्तों के अनुसार या लगातार चार सबसे लीन महीनों के औसत प्रवाह का न्यूनतम 15 प्रतिशत जो भी मान उच्चतर हो, पर्यावरणीय प्रवाह के रूप में रिलीज किया जाएगा।
3. ईआईए अधिसूचना, 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार परियोजना के लिए निर्माण सामग्री के उत्खनन के लिए आवश्यक अनुमति / स्वीकृति ली जाएगी।
4. ठोस अपशिष्ट उत्पन्न, विशेष रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि को लैंडफिल सामग्री के रूप में निपटान नहीं किया जाएगा। इसका उपचार वैज्ञानिक पद्धति एवं पुनः चक्रित के साथ किया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।
5. सभी अनुसूची–I की प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ लागू की जाएगी।
6. परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण हेतु मुआवजा मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ भूमि के कानून के अनुसार उचित रूप से किया जाएगा। भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
7. परियोजना की कमीशनिंग के लिए इस पर्यावरण स्वीकृति की वैधता पत्र जारी करने की तिथि से 10 साल की होगी।
8. परियोजना के शुरु होने के 5 साल बाद, पर्यावरण और डाउनस्ट्रीम परिस्थितिकी पर परियोजना के प्रभावों का अध्ययन मंत्रालय के साथ परामर्श से तय की गई स्वतंत्र एजेंसी दवारा किया जाएगा।
9. किसी अन्य संगठन / विभाग से कोई अन्य मंजूरी / अनुमति / अनुमोदन, जो की परियोजना पर लागू होता है, लिया जाएगा।
10. पर्यावरण स्वीकृति की प्रति को एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

दैनिक जागरण 15.02.2022

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that Sunni Dam Hydroelectric Project (382 MW), which is proposed to be constructed on Satluj River in Shimla and Mandi Districts of Himachal Pradesh, has received Environment Clearance from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, with following conditions:

1. Environment Management Plan (EMP) shall be strictly adhered to and budgetary provisions of Rs. 30,546.00 lakhs for implementation of EMP, shall be fully utilized and not diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also be updated proportionately.
2. Recommendations of the Cumulative Impact Assessment and Carrying Capacity Study of Satluj River Basin Study shall be followed while implementing the project.
3. Necessary permissions shall be obtained for quarrying construction materials, if any required, for the project as per the EIA Notification, 2006 and as amended thereof
4. Solid waste generated, especially plastic waste, etc. should not be disposed of as landfill material. It should be treated with scientific approach and recycled. Use of single-use plastics may be discouraged.
5. Conservation plan prepared for Schedule I species shall be implemented with approval of the concerned CWLW.
6. Land acquired for the project shall be suitably compensated in accordance with the law of the land with the prevailing guidelines. Private land shall be acquired as per provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in •Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
7. Validity of the Environment Clearance for commissioning of the project is 10 years.
8. After 5 years of the commissioning of the project, a study shall be undertaken by an independent agency regarding impact of the project on the environment.
9. Permissions from other organisations/departments/etc., shall be taken wherever applicable on the project.
10. The Environment Clearance letter can be viewed on our website **www.sjvn.nic.in**

Indian Express 15.02.2022

(55)

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला एवं मंडी जिलों में सतलुज नदी पर खैर गाँव के पास सुन्नी बाँध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) का निर्माण प्रस्तावित है, जिसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के साथ पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी है:

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का सख्ती से पालन किया जाएगा और ईएमपी के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधानों हेतु रुपये 30,546.00 लाख की राशि का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। परियोजना लागत में संशोधन या मूल्य स्तर परिवर्तन के कारण ईएमपी की लागत में अनुपातित रूप से सुधार किया जाएगा।
2. सतलुज नदी बेसिन के क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट और वहन क्षमता के अध्ययन पर या टीओआर (ToR) शर्तों के अनुसार या लगातार चार सबसे लीन महीनों के औसत प्रवाह का न्यूनतम 15 प्रतिशत जो भी मान उच्चतर हो, पर्यावरणीय प्रवाह के रूप में रिलीज किया जाएगा।
3. ईआईए अधिसूचना, 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार परियोजना के लिए निर्माण सामग्री के उत्खनन के लिए आवश्यक अनुमति / स्वीकृति ली जाएगी।
4. ठोस अपशिष्ट उत्पन्न, विशेष रुप से प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि को लैंडफिल सामग्री के रूप में निपटान नहीं किया जाएगा। इसका उपचार वैज्ञानिक पद्धति एवं पुनः चक्रित के साथ किया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।
5. सभी अनुसूची-1 की प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ लागू की जाएगी।
6. परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण हेतु सुझावित मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ भूमि के कानून के अनुसार उचित रुप से किया जाएगा। भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
7. परियोजना की कमीशनिंग के लिए इस पर्यावरण स्वीकृति की वैधता पत्र जारी करने की तिथि से 10 साल की होगी।
8. परियोजना के शुरु होने के 5 साल बाद, पर्यावरण और डाउनस्ट्रीम परिस्थितिकी पर परियोजना के प्रभावों का अध्ययन मंत्रालय के साथ परामर्श से तय की गई स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
9. किसी अन्य संगठन / विभाग से कोई अन्य मंजूरी / अनुमति / अनुमोदन, जो की परियोजना पर लागू होता है, लिया जाएगा।
10. पर्यावरण स्वीकृति की प्रति को एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

दिव्य हिमाचल 15.02.2022

CM